

प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़



दिनांक:- 16.08.2022

पाक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा।



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 257/17 धारा- 302/376 भादवि व 5/6 (लैंगिक अपराध बाल संरक्षण अधि0-2012) पाक्सो एक्ट की विवेचना थाना कमालगंज पुलिस द्वारा सम्पादित की गयी, दौराने विवेचना सुसंगत साक्ष्य एवं कुशल पैरवी के आधार पर मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त 1.विपिन कुमार शर्मा पुत्र सुभाषचन्द्र शर्मा नि0 खुदागंज थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को आजीवन कारावास व एक लाख रु0 के जुर्माना से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।